वास्ते ... दि. 12-4-18 को पेश है

10/4/18 आज पत्रावली पेश हुई। वकीलो ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली वास्ते बहस दि. 12-4-18 को पेश हो। तब तक T.I. की अवधि बढ़ाई जाती है।

उपखण्ड अधिकारी, महुवा

12-4-18 आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 2 की तलबी हेतु तलबाना सम्मन पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी दि. 6-6-18 को पेश हो। तब तक T.I. की अवधि बढ़ाई जाती है।

उपखण्ड अधिकारी, महुवा

दिनांक 06—06—2018

आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प खेडला बुजुर्ग पेश हुई। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कोण्डला तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 335 से 339, 343, 381, 384, 385, 386, 387, 388, कुल किता 12 रकबा 3.82 हैक्टयर में से आराजी खसरा नमबर 343 रकबा 0.22 हैक्टयर विवादित आराजी है। वादग्रस्त आरजी प्रार्थीगण एवं दावा प्रतिवादी संख्या 2 लगयात 7 की कब्जा काश्त व खातेदारी की आराजी है उक्त आराजीयात में अप्रार्थी संख्या 1 रामोतार सिंह का कोई हिस्सा नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

आराजीयात पर कब्जा करना चाहता है तथा प्रार्थीगण व दावा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 को बेदखल करना चाहता है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 की वादग्रस्त भूमि के पास कोई आबादी या कृषि भूमि नहीं है। उसके बाबजूद अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण की उक्त आराजी में जबरन निर्माण कर कब्जा करना चाहता है। अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 6–10–15 व 26–12–2017 को प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकी दी। यदि अप्रार्थीगण अपनी धमकी में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाइ निषेधाज्ञा से पाबंद फरमया जावे।

प्रार्थना पात्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणको नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 तामील के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुये इसलिये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 2 आज उपस्थित ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2070–73 के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम कोण्डला तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 335 से 339, 343, 381, 384, 385, 386, 387, 388, कुल किता 12 रकबा 3.82 हैक्टयर रामवीरसिंह महावीरसिंह अतरसिंह पि. कल्याणसिंह मंगीदेवी बेबा कल्याणसिंह हि.ब.1/3 राहिन एसएसबीजे शाखा महवा मुर्तहीन उम्मेदसिंह ओमीसिंह गब्बूसिंह पि. सम्पतसिंह हि.ब 1/3 राहिन बीओबी शाखा खेडला बुजुर्ग मुर्तहीन सरवती पत्नि मुंशी सूबेदार बलरामसिंह पि.मुंशी कमलेश नवलेश पुत्रीयान मुंशी हि.ब.1/14,सर्वेश पत्नि महाराजसिंह,गिराधारीसिंह लोकेन्द्रसिंह मुकेशसिंह पि. महाराजसिंह हि.ब. 1/84,पूरनसिंह मूलसिंह पि.बहादुरसिंह हि.ब.1/6 भूदेवी पत्नि सम्पतसिंह हि.

उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

सहखातेदार हैं। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध होना प्रमाणित नहीं होता है। प्रकरण के अवलोकन से यह भी पाया जाता है कि खसरा नमबर 342 व 343 की सीमा से संबंधित है तथा प्रार्थीगण का वाद भी नक्शा ट्रेस की दुरूस्ती से संबंधित है। यदि दाराने वाद अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 343 को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जाती है तो अपूर्तनीय क्षति प्रार्थीगण को होगी। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है इसलिये प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होता है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है तथा कब्जा में भी हैं यदि अप्राथीगण द्वारा प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजी खसरा नम्बरा 343 की सीमा को खसरा नम्बर 342 में मानते हुये बेदखल किया जाता है तथा कब्जा काश्त में कोई बाधा उत्पन्न की जाती है तो असुविधा भी प्रार्थीगण को ही होगी।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रथम दृष्टया मामला अपूर्तनीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होते है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने के कारण स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को वाद पत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम कोण्डला तहसील महवा की भूमि खसरा नम्बर 343 रकबा 0.22 हैक्टयर में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे। खसरा नम्बर 342 की को भूमि खसरा नम्बर 343 में मिली हुई मानकर प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें राजस्वरिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

उप खण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)